

प्रेस नोट दिनांक 08.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना पट्टी के उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह रि0का0 अरुण यादव व हस्बुलतलब उ0नि0 उमेद्र कुमार शुक्ला द्वारा तलाश वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय स्पेशल जज विद्युत अधिनियम, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू मु0नं0 833/21, अ0सं0 13/19, धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त सुरेश विश्वकर्मा पुत्र स्व0 श्यामलाल विश्वकर्मा, निवासी वर्तमान पता दाउदपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ व स्थायी पता ग्राम पूरेबसन्त, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को उसकी दुकान दाउदपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सुरेश विश्वकर्मा पुत्र स्व0 श्यामलाल विश्वकर्मा, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी वर्तमान पता दाउदपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ व स्थायी पता ग्राम पूरेबसन्त, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह रि0का0 अरुण यादव व हस्बुलतलब उ0नि0 उमेद्र कुमार शुक्ला, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह का0 पंकज कुमार मौर्या द्वारा तलाश वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय जे0एम0 लालगंज द्वारा जारी फौजदारी वाद संख्या 656/26 राज्य बनाम बबलू सिंह उर्फ बबुल्ले, अ0सं0 13/16 धारा 325/323/504/506 भादवि, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त बबलू उर्फ बबुल्ले पुत्र लल्लन सिंह, निवासी ग्राम पूरे लोका, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- बबलू उर्फ बबुल्ले पुत्र लल्लन सिंह, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे लोका, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह का0 पंकज कुमार मौर्या, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का 46.850 किग्रा चावल एवं 23 पैकेट दलिया बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का चावल एवं दलिया बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी ग्राम पूराधे पेडरिया, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.10.2026 को पेडरिया पंचायत घर से पोषाहार दलिया, चावल व पंजीरी चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 191/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 02 अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान चोरी की संपत्ति बरामद होने पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह का0 शत्रुधन यादव, का0 आलोक जैसवारा व का0 रोहित यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 191/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. धीरज पुत्र रामकुमार गौतम, उम्र करीब 22 वर्ष एवं 2. सुशील पुत्र राजेन्द्र यादव उर्फ राजकुमार, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासीगण ग्राम पूराधे पेडरिया, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को कन्धई पाण्डेय का पुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद चावल की बोरी वजन 46 किलो 850 ग्राम एवं एक अदद दलिया की बोरी में 23 पैकेट दलिया (01 पैकेट 01 किग्रा एवं 22 पैकेट 500 ग्राम) बरामद किए गए।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 02.10.2026 की रात्रि में दोनों ने पेडरिया पंचायत घर से एक बोरी दलिया, दो बोरी पंजीरी एवं एक बोरी चावल चोरी किया था। दो बोरी पंजीरी तथा कुछ दलिया व चावल पशुओं को खिला दिया तथा शेष दलिया व चावल को बेचने के लिए ले जा रहे थे, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. धीरज पुत्र रामकुमार गौतम, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम पूरेराधे पेडरिया, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. सुशील पुत्र राजेन्द्र यादव उर्फ राजकुमार, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम पूरेराधे पेडरिया, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

- * 01 अदद चावल की बोरी, वजन 46 किलो 850 ग्राम।
- * 01 अदद दलिया की बोरी, जिसमें 23 पैकेट (01 पैकेट 01 किग्रा व 22 पैकेट 500 ग्राम)।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० नन्दलाल यादव मय हमराह का० शत्रुधन यादव, का० आलोक जैसवारा व का० रोहित यादव, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में 09 वर्ष से फरार वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामिया 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में 09 वर्ष से फरार वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामिया 02 अभियुक्त/अभियुक्ता रुकसाना बानो व मो० मुस्लिम गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी ग्राम टिकरिया बुजुर्ग, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके पति दुकान खोलने गये थे, जहां रुखसाना बानो उर्फ मुन्नी पत्नी मो० मुस्लिम, मो० मुस्लिम पुत्र मो० मोहम्मद एवं अमन पुत्र मो० मुस्लिम द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना कुण्डा पर मु०अ०सं० 221/2017 धारा 302, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। घटना के बाद से अभियुक्तगण फरार चल रहे थे तथा गिरफ्तारी न होने पर उनके विरुद्ध धारा 82/83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही करते हुए मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियुक्तगण पर पूर्व में

₹1,000-₹1,000 का इनाम घोषित था, जिसे पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा बढ़ाकर ₹25,000-₹25,000 कर दिया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/मफरूर एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ०नि० अंकित सिंह मय हमराह आरक्षी अजीत कुमार यादव, आरक्षी हरेंद्र सिंह, रि० महिला आरक्षी श्वेता राय व मुख्य आरक्षी जितेंद्र कुमार (सर्विलांस सेल) द्वारा मु०अ०सं० 221/2017 धारा 302 भादवि, थाना कुण्डा से संबंधित माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW के तहत 09 वर्ष से फरार/ वांछित एवं 25-25 हजार रुपये के इनामिया 02 अभियुक्त/अभियुक्ता 1. रुकसाना बानो पत्नी मोहम्मद मुस्लिम, उम्र करीब 40 वर्ष 2. मोहम्मद मुस्लिम पुत्र मोहम्मद अली, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासीगण टिकरिया बुजुर्ग, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर शेखपुर आशिक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार इनामिया अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1. रुकसाना बानो पत्नी मोहम्मद मुस्लिम 40 वर्ष
2. मोहम्मद मुस्लिम पुत्र मोहम्मद अली -46 वर्ष निवासीगण टिकरिया बुजुर्ग थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अंकित सिंह मय हमराही आरक्षी अजीत कुमार यादव, आरक्षी हरेंद्र कुमार, रि० महिला आरक्षी श्वेता राय थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ व मुख्य आरक्षी जितेंद्र कुमार (सर्विलांस सेल) ।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह हे०का० राजकुमार सिंह, का० बाबूलाल यादव व का० राजकिशोर यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/शांति व्यवस्था ड्यूटी/तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा० न्यायालय द्वारा निर्गत ई-गिरफ्तारी वारण्ट से संबंधित मु०नं० 2695/2021 धारा 323/325/504/506 भादवि, थाना लालगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त श्यामसुंदर पुत्र शिवनारायण को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में मु०नं० 53/2020 धारा 452/354/323/504/506 भादवि, थाना लालगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त तूफान वर्मा पुत्र रामकरन वर्मा को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. श्यामसुंदर पुत्र शिवनारायण, उम्र करीब 64 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे गिरधर सहाय तिना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. तूफान वर्मा पुत्र रामकरन वर्मा, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम गिरधर सहाय का पुरवा तिना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार सिंह, का0 बाबूलाल यादव व का0 राजकिशोर यादव, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव व का0 सूरज कुमार शर्मा द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0 कोर्ट नं0 18, प्रतापगढ़ द्वारा जारी वाद सं0 19172/2022, अ0सं0 00/2022, धारा 138 एनआई एक्ट, थाना कन्धई से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त राजकुमार मौर्या पुत्र राजाराम मौर्या, निवासी खजोहरी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- राजकुमार मौर्या पुत्र राजाराम मौर्या, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी खजोहरी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव व का0 सूरज कुमार शर्मा, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का मोबाइल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.09.2026 की रात्रि में बाबूगंज से अमेठी जाने वाले हाईवे के किनारे शुक्ला गेट के पास मकान के सामने चारपाई पर सो रहे व्यक्ति का मोबाइल चोरी किया गया था। इस संबंध में थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 228/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान बरामद मोबाइल के IMEI नंबर का मिलान एफआईआर में दर्ज IMEI नंबर से किया गया, जो सही पाया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री अभिषेक कुमार सिरौही के नेतृत्व में थाना अन्तू के उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश यादव व का0 जयंत कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र, पेंडिंग विवेचना एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 228/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त सौरभ पाण्डेय पुत्र आनंद कुमार पाण्डेय, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी हनुमान पाण्डेय का पुरवा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को कपासी मोड़ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाइल, बरामद हुआ। बरामद मोबाइल के IMEI नंबर का मिलान एफआईआर में दर्ज IMEI नंबर से किया गया, जो सही पाया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह नशे का आदी है तथा अक्सर दिन-रात्रि में सोते हुए व्यक्तियों की चारपाई से मोबाइल आदि चोरी करता है। अभियुक्त के अनुसार दिनांक 01.09.2026 की रात्रि में शुक्ला गेट के पास चारपाई पर सो रहे व्यक्ति से उक्त मोबाइल चोरी किया था, जिसे बेचने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सौरभ पाण्डेय पुत्र आनंद कुमार पाण्डेय, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी हनुमान पाण्डेय का पुरवा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

* 01 अदद VIVO मोबाइल, रंग सिल्वर।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० रज्जन राव मय हमराह हे०का० ऋषिकेश यादव व का० जयंत कुशवाहा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।